रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062021-227646
CG-DL-E-16062021-227646

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2175] नई दिल्ली, बुधवार, जून 16, 2021/ज्येष्ठ 26, 1943
No. 2175] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 16, 2021/JYAISHTHA 26, 1943

India Code

पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जून, 2021

का.आ. 2339(अ).—केन्द्रीय सरकार ने पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम 3 के खंड (घ) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्याक का.आ. 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् ईआईए अधिसूचना कहा गया है) द्वारा निदेश दिया था कि इसके प्रकाशन की तारीख से ही ईआईए अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद नई परियोजनाओं या कार्यकलापों या मौजूदा परियोजनाओं या कार्यकलापों के विस्तार या आधुनिकीकरण जिससे प्रक्रिया या प्रोद्योगिकी और/ या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के साथ क्षमता परिवर्धन हो जाता है, का भारत के किसी भाग में प्रारंभ केन्द्रीय सरकार से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात् या यथास्थिति, उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक् रूप से गठित राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा, उसमें विहित प्रक्रिया के अनुसरण में ही किया जाएगा।

और एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के प्रयोजन से एथनॉल के उत्पादन के लिए आशयित चीनी विनिर्माण या आसवनी इकाइयों के विस्तार के लिए अधिसूचना संख्याक का. आ. 345 (अ), तारीख 17 जनवरी, 2019 और अधिसूचना संख्याक का.आ. 750 (अ), तारीख 17 फरवरी, 2020 के द्वारा विशेष वितरण का उपबंध किया गया था। वर्ष 2025 तक पेट्रोल में एथनॉल के 20% मिश्रण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सरकार की वचनबद्धता को ध्यान में रखते हुए इस वितरण को आगे भी जारी रखने का निर्णय लिया गया था और यह अधिसूचना संख्याक का.आ.980 (अ), तारीख 02 मार्च, 2021 के द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

और केंद्रीय सरकार ने यह देखा है कि चीनी विनिर्माण इकाइयां या आसवनियां सामान्यतया सक्षम प्राधिकारी से प्रमाणनन के संबंध में प्रमाणपत्र यह कि आसवनी में ईंधन के साथ समयबद रीति से मिश्रण करने के लिए एथनॉल का उत्पादन किया जा रहा है/ किया जाएगा, प्राप्त करने की अपेक्षा का अनुपालन करने में असमर्थ रहती हैं जिसमें संपूर्ण प्रक्रिया अवरूद्ध हो जाती है। इस मामले पर विचार किया गया और यह विनिश्चित किया गया है कि सक्षम प्राधिकारी दारा प्रमाणन की अपेक्षा को एक नोटरीकृत शपथ-पत्र के रूप में स्व-प्रमाणन से इस शर्त के अध्यधीन प्रतिस्थापित किया जाएगा कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस वितरण के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है तो पर्यावरणीय स्वीकृति रद्द हो जाएगी।

और एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम, शून्य द्रव विमुक्ति (जेडएलडी) वाली अनाज आधारित आसवनियों और सरकार के एथनॉल मिश्रण कार्यक्रम के प्रयोजनों के लिए केवल एथनॉल का उत्पादन करने की व्यवस्था को और अधिक बढ़ावा देने और ऐसी आसवनियों से एथनॉल के उत्पादन में पम्परागत जीवाश्म-ईंधन की तुलना में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जनों में कमी, जल और वायु प्रदूषण में कमी, कृषीय अर्थव्यस्था को संभाव्य प्रोत्साहन और समतुल्य मात्रा में आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता में कमी सहित समस्त पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक फायदों को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार, परियोजनाओं की ऐसी श्रेणी (सरकार के एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए उपयोग किए जाने के लिए शून्य द्रव विमुक्ति के साथ अनाज आधारित आसवनियों द्वारा एथनॉलका विनिर्माण करने वाली) को पर्यावरणीय स्वीकृतियां (ईसी) प्रदान करने के संबंध में कतिपय शर्तों के अध्यधीन विशेष वितरण आवश्यक समझती है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (v) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ईआईए अधिसूचना में का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्-

उक्त अधिसूचना में :-

(i). पैरा 4 में, उप-पैरा (iii) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्-

(iiiक) केन्द्रीय सरकार द्वारा संकटकाल, जैसे कि महामारी, प्राकृतिक आपदाओं आदि के नाम पर अधिसूचित उक्त श्रेणी "ख" परियोजनाओं या राष्ट्रीय कार्यक्रमों / स्कीमों / मिशनों आदि के अंतर्गत पर्यावरणीय दृष्टि से अनुकूल कार्यकलापों पर, केन्द्रीय स्तर पर श्रेणी "ख" परियोजनाओं के तौर पर विचार किया जाएगा।

(ii). अनुसूची की मद 5 (छ) के सामने स्तंभ (5) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा-

"(क) इस अनुसूची की मद 5(छ क) में आने वाली परियोजनाओं के सिवाय ;

(ख) परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक शपथ-पत्र के रूप में स्व-प्रमाणन के अनुसार, पूर्ण रूप से केवल एथनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रम के लिए ही उपयोग किए जाने हेतु विद्यमान इकाई के लिए पूर्व पर्यावरण स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर चुकी चीनी विनिर्माण इकाइयों या एथनॉल के उत्पादन के लिए आसवनियों के विस्तार का श्रेणी "ख2" परियोजनाओं के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा।

परंतु यह कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस संवितरण व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथनॉल का उत्पादन नहीं किया जा रहा है या उक्त आसवनी उन अपेक्षाओं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नहीं कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त माना जाएगा।

(iii). अनुसूची की मद 5(छ) के पश्चात् निम्नलिखित मद रखी जाएगी, अर्थात्-

परियोजना/क्रियाकलाप		आरम्भिक सीमा के साथ श्रेणी		शर्तें, यदि कोई हों
		क	ख	
5	विनिर्माण/ विरचना			
5(छक)	पूर्ण रूप से भारत सरकार के एथनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम के लिए	शून्य द्रव विमुक्ति रहित परियोजनाएं	शून्य द्रव विमुक्ति वाली परियोजनाएं	टिप्पण- (i). श्रेणी "ख" के अधीन आने वाली परियोजनाओं का

	उपयोग किए जाने के लिए एथनॉल का उत्पादन करने वाली अनाज आधारित आसवनियां टिप्पणी: अनाज में गेहूं, चावल, मक्का, जौ और ज्वार शामिल हैं।			मूल्यांकन, ख 2 श्रेणी के रूप में और इस अधिसूचना के पैरा 4 (iiiक) की निबंधनों में किया जाएगा। (ii). उन परियोजनाओं के लिए लागू जिन्होंने पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन 31 मार्च 2024 तक या अगली अधिसूचना, जो भी पहले हो, तक फाईल किया हो, परंतु कि 31 मार्च 2024 के पश्चात् उत्पाद मिश्रण में किसी भी प्रकार के तदनन्तर संशोधन या विस्तार या परिवर्तन पर , उस समय लागू उपबंधों के अनुसार विचार किया जाए। (iii). परियोजना प्रस्तावक एक नोटरीकृत शपथ-पत्र फाईल करेगा कि प्रस्तावित परियोजना से उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए किया जाएगा। परंतु कि बाद में यदि यह पाया जाता है कि इस वितरण व्यवस्था के अनुसार प्रदान की गई पर्यावरण स्वीकृति के आधार पर उत्पादित एथनॉल का उपयोग पूर्ण रूप से ईबीपी कार्यक्रम के लिए नहीं किया जा रहा है या एथनॉल का उत्पादन नही किया जा रहा है या उक्त आसवनी अपेक्षाओं, जिनके आधार पर परियोजना का श्रेणी ख 2 परियोजना के रूप में मूल्यांकन किया गया है, को पूरा नही कर रही है तो पर्यावरण स्वीकृति को निरस्त हो जाएगी।

[फा.सं. 22-33/2019-आईए.III]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में का.आ- 1533 (अ), तारीख 14 सितम्बर, 2006 द्वारा प्रकाशित की गई थी और इसका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1247 (अ) तारीख,18 मार्च, 2021 द्वारा किया गया था।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th June, 2021

S.O. 2339(E).—WHEREAS, by notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O.1533 (E), dated the 14th September, 2006 issued under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, read with clause (d) of the sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 (hereinafter referred to as the EIA Notification), the Central Government directed that on and from the date of its publication, the new projects or activities or the expansion or modernization of existing projects or activities listed in the Schedule to the EIA notification entailing capacity addition with change in process or technology and/or product mix shall be undertaken in any part of India only after obtaining prior environmental clearance from the Central Government or as the case may be, by the State Level Environment Impact Assessment Authority, duly constituted by the Central Government under sub-section (3) of section 3 of the said Act, in accordance with the procedure specified therein;

AND WHEREAS, for the purpose of Ethanol Blended Petrol Programme, a special dispensation was provided for expansion of sugar manufacturing or distillery units, intended for production of Ethanol *vide* notifications numbers S.O. 345(E), dated the 17th January, 2019 and S.O. 750(E), dated the 17th February, 2020. In view of the Government's commitment to achieve 20 percentage blending of ethanol in petrol by the year 2025, it was decided to continue further with this dispensation and it was notified *vide* notification number S.O. 980(E) dated the 2ndMarch, 2021;

AND WHEREAS, the Central Government has noticed that the expansion projects of sugar manufacturing units or distilleries are generally unable to comply with the requirement of obtaining certificate from the competent authority relating to certification that the distillery is producing/shall produce ethanol for blending with fuel in a timely manner thereby stalling the entire process. The matter has been considered and it has been decided that the requirement of certification by competent authority may be replaced with self-certification in form of a notorised affidavit, subject to condition that subsequently if it is found that the ethanol, produced based on the EC granted as per this dispensation, is not being used completely for Ethanol Blended Petrol Programme, the EC shall stand cancelled;

AND WHEREAS, to give a further boost to the Ethanol Blending Program, Grain based distilleries, having Zero Liquid Discharge (ZLD) and setup to produce only ethanol for the purposes of Ethanol Blending Program of the Government, and keeping in view overall environmental, social and economic benefits in production of ethanol from such distilleries including reduction in Green House Gas emissions in comparison to conventional fossil-fuel, less water and air pollution, potential boost to agricultural economy and reduced dependence on imported fossil fuel by equivalent amount, the Central Government deems it necessary to give a special dispensation as regards granting of Environmental Clearances (EC) to such category of projects [Manufacturing of ethanol by Grain Based distilleries with Zero Liquid Discharge, to be used for Ethanol Blended Petrol Programme of the Government], subject to certain conditions;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government, hereby makes following further amendments in the EIA Notification, namely:-

In the said notification:-

(i) In paragraph 4 after sub-paragraph (iii), the following shall be inserted, namely:-

(iii a) Such Category 'B' projects, as notified by the Central Government on account of exigencies such as pandemics, natural disasters, or to promote environmentally friendly activities under National Programmes or Schemes or Missions, shall be considered at the Central level as Category 'B' projects;

(ii) in the Schedule, against item 5(g), for the entry in column (5), the following shall be substituted:-

"(a) Except for the projects falling in item 5(ga) of this Schedule;

(b) Expansion of sugar manufacturing units or distilleries for production of ethanol, having Prior Environment Clearance (EC) for existing unit, to be used completely for Ethanol Blended Petrol (EBP) Programme only, as per self-certification in form of an affidavit by the Project Proponent, shall be appraised as category 'B2' projects.

Provided that subsequently if it is found that the ethanol, produced based on the EC granted as per this dispensation, is not being used completely for EBP Programme, or if ethanol is not being produced, or if the said distillery is not fulfilling the requirements based on which the project has been appraised as category B2 project, the EC shall stand cancelled";

(iii) in the Schedule, after item 5(g), the following item shall be inserted, namely:-

Project/ Activity		Category with threshold limit		Conditions, if any
		A	B	
5	Manufacturing/Fabrication			
"5(ga)	*Grain based distilleries producing ethanol, solely to be used for Ethanol Blended Petrol Programme of the Government of India* *Note: Grains include wheat, rice, maize, barley, sorghum.*	*Projects without Zero Liquid Discharge*	*Projects with Zero Liquid Discharge*	*Note:* *(i) Projects under category B shall be appraised as B2 category project and in terms of para 4(iiia) of this notification* *(ii)Applicable for projects who file application for grant of EC upto 31st March 2024 or till further notification whichever is earlier provided that any subsequent amendment or expansion or change in product mix after 31st March 2024, shall be considered as per the provisions inforce at that time.* *(iii) The project proponent shall file a notorised affidavit that ethanol produced from proposed project shall be used completely for EBP Programme. Provided that subsequently if it is found that the ethanol produced, based on the EC granted as per this dispensation, is not being used completely for EBP Programme, or if ethanol is not being produced, or if the said distillery is not fulfilling*

IndiaCode

				the requirements based on which the project has been appraised as category B2 project, the EC shall stand cancelled".

[F.No. 22-33/2019-IA.III]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and was last amended *vide* the notification number S.O.1247(E) , dated the 18thMarch, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.06.16 20:47:55 +05'30'